

/140172/2023

24.07.23

CE(P)

MD

26/7/23

ई फाईल सं०-26616

2265

SSO(P) III

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासना

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादूनKnp02a-1
26/7/23

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक १५ जुलाई 2023

विषय वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-थराली में खम्पाधार से अम्बेडकर ग्राम मल्ला चिड़िंगा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2007-08 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-827/III-2/08-26(प्रा.आ.)2007 दिनांक 24 मार्च, 2008 द्वारा लम्बाई 8.00 कि०मी० तथा लागत ₹ 294.00 लाख की प्रदान की गई है।

2- उक्ता स्वीकृति के क्रम वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति विलम्ब से (वर्ष 2015) प्राप्त होने तथा इस मध्य श्रम एवं सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 294.00 लाख में सम्पूर्ण लम्बाई में कार्य पूर्ण न हो पाने के की स्थिति के कारण मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन धनराशि ₹ 373.16 लाख का शासन स्तर पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई लागत ₹ 373.16 लाख {₹294.00 लाख मूल स्वीकृत लागत + ₹79.16 लाख अवशेष कार्यों की अतिरिक्त लागत} की प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या-827/III-2/08-26(प्रा.आ.)2007 दिनांक 24 मार्च, 2008 द्वारा मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष सम्पादित कार्यों की लागत ₹294.00 लाख, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹373.16 लाख से घटाते हुए अतिरिक्त लागत ₹79.16 लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2008 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।
- विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

जी.के.जी.
26/7/23

2/2023

- iv. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- v. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- vi. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- vii. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- viii. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
- ix. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

3- उक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 30 लेखाशीर्षक- 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-02-01-चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित पत्र सं0-I/ 139158 /2023, दिनांक 19 जुलाई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 22-07-2023 16:45:50

(श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., थराली।
11. गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)

12/2023

संयुक्त सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 894 / 20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक-01.08.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता 07 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून